ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-11* December- 2020
Innovation The Research Concept

प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति

Status of Females in Ancient India

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 26/12/2020, Date of Publication: 27/12/2020

सुरेश कुमार सान्दू
सहायक आचार्य
इतिहास विभाग,
राजकीय महाविद्यालय पुष्कर
अजमेर, राजस्थान, भारत

सारांश

हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक पड़ाव आए हैं। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में उसे गरिमामय पद प्राप्त था। स्मृति काल से होते हुए पौराणिक युग तक वैदिक युग की देवी पद को सुशोभित करने वाली महिला सहकर्मी के स्थान पर आ गई थी।

The position of women in our society has not always been the same. There have been changes in this from time to time. His position has undergone many stages from the Vedic era to the modern period. He had a dignified position during the Vedic and post-Vedic period. The woman who embellished the post of the goddess of the Vedic era, from the time of Smriti to the mythological era, had come in place of the colleague.

मुख्य शब्द : पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक ,ब्रह्मवादिनी ,मंत्रद्रष्ट्रो,सद्योद्वाह, उपाध्याय, नियोग, स्मृति– काल धर्मशास्त्र –काल, विदुर ।

Patriarchal, Matriarchal, Brahmavadini, Mantrasashtro, Sadyodavaha, Upadhyaya, Neoga, Smriti - Kaal Dharmashastra - Kaal, Vidur.

प्रस्तावना

किसी भी सभ्यता की आत्मा को समझने तथा उसकी उपलब्धियों एवं श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने का सर्वोत्तम आधार ,उसमें स्त्रियों की दशा का अध्ययन करना है। स्त्री दशा किसी भी देश की संस्कृति का मानदंड मानी जाती है।

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? इस पर विद्वानों में मतभेद है। भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। उसकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार– चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में तदनुरूप बदलाव भी होते रहे हैं।

विभिन्न समीक्षात्मक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि सामुदायिक संगठनों का स्वरूप चाहे पितृसत्तात्मक रहा या मातृसत्तात्मक, आरंभ में स्त्री–पुरुष संबंध पारस्परिकता और अपने–अपने क्षेत्रों में स्वायत्तता पर आधारित थे, परवशता पर नही। इसके साथ यह बात भी सर्वमान्य हो चुकी है कि, मातृसत्तात्मक समुदायों में स्त्रियों को अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्राप्त थी जैसे–जैसे निजी संपत्ति का विकास हुआ सामाजिक विषमता बढ़ी और वास्तविक सता पुरुषों के हाथों में आ गई। पुरुष प्रधान समाज में सारे कानून– कायदे पुरुषों ने अपने हितों, अधिकारों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए, ऐसा प्रतीत होता है, जबकि वास्तविकता में नारी को बराबर के अधिकार दिए गए, देवी का दर्जा दिया गया। यदि प्राचीन काल से पूर्व मध्यकाल तक देखें तो भारतीय समाज में नारी को बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था। नारी को पूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक अधिकार प्राप्त थे।लेकिन तुर्कों के आगमन के साथ ही नारी की स्थिति में गिरावट आती चली गई, नारी घर में कैद होती गई, नारी के अधिकार एवं स्वतंत्रता छिंती चली गई।

प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति जानने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न कालों में स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक स्थितियों का अध्ययन किया जाए। समाज के इस आधे अंग (स्त्री) की स्थिति विभिन्न कालों में इस प्रकार थी–

वैदिक काल– भारत की प्राचीनतम सभ्यता ,सिंधु सभ्यता के धर्म में मातृ देवी को सर्वोच्चता प्रदान करना, उसके समाज में उन्नत स्त्री– दशा का सूचक माना जा सकता है। ऋग्वैदिक काल में समाज ने उसे आदरपूर्ण स्थान दिया ,उसके धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार पुरुषों के समान थे।

विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना जाता था। दंपति घर में संयुक्त अधिकारी होते थे । यद्यपि कहीं–कहीं कन्या के नाम पर चिंता व्यक्त की गई है तथापि कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं ,जहां पिता विदुषी एवं योग्य कन्याओं की प्राप्ति के लिए ,विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं।

कन्या को पुत्र के समान ही शैक्षणिक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जाती थी । यजुर्वेद के अनुसार कन्या का भी उपनयन संस्कार होता था ,तथा वह भी ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करती थी, उसे संध्या करने का अधिकार था, सह शिक्षा का प्रचलन था ।पी एच प्रभु के अनुसार– ष्जहां तक शिक्षा का संबंध है ,स्त्री पुरुष की स्थिति सामान्यतः समान थी। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी तथा शास्त्रों का अध्ययन करती थी। ऋग्वेद में ऐसी अनेक विदुषी एवं दार्शनिक स्त्रियों के नाम मिलते हैं, जिन्होंने कई मंत्रों एवं ऋचाओ की रचना की थी ।विश्ववारा को "ब्रह्मवादिनी ष्तथाष मंत्रद्रष्ट्री" कहा गया है ,जिसने ऋग्वेद के एक स्तोत्र की रचना करने का श्रेय प्राप्त है ।ऐसी अन्य विदुषियो में घोषा, लोपामुद्रा, शाश्वती, अपाला ,इंद्राणी ,सिकता, निवावरी आदि का उल्लेख हुआ है।

महिला छात्राओं के दो वर्ग थे, 1 ब्रह्मवादिनी तथा 2 सद्योद्वाह। प्रथम आजीवन धर्म और दर्शन की अध्येता थी तथा द्वितीय अपने विवाह तक ही अध्ययन कार्य करती थी ।अध्ययन के पश्चात कुछ स्त्रियां अध्यापन का कार्य करती थी। उपनिषदों में स्त्री शिक्षिकाओं का वर्णन है शिक्षिकाओं को उपाध्याया कहा जाता था। परंतु शिक्षिकाओं की संख्या अधिक नहीं थी। पर्याप्त उदाहरणों से यह भी साबित होता है कि ऋग्वैदिक महिलाएं दार्शनिक समस्याओं पर पुरुषों के साथ वाद– विवाद में भाग लेती थी।

कन्याओं का विवाह युवावस्था में होता था ।लड़कियां अपना जीवनसाथी चुनने के लिए स्वतंत्र थी ।समाज में एक विवाह प्रथा का प्रचलन था ।सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था ।उस समय नियोग– प्रथा बहु प्रचलित थी ।स्त्री संतान उत्पन्न न होने पर या अच्छी संतान के लिए नियोग कर संतान प्राप्त कर सकती थी ।विधवा को पुनः विवाह करने का अधिकार था।

इस काल में स्त्रियों को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक आदि क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक सामाजिक व धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की उपस्थिति अनिवार्य थी ।ऋग्वेद में बृहस्पति तथा उसकी पत्नी जुहू की कथा मिलती है ।बृहस्पति अपनी पत्नी को छोड़कर तपस्या करने गए, किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि पत्नी के बिना अकेले तप करना अनुचित है ।इस प्रकार के उद्धरणो से स्पष्ट होता है कि स्त्री भी पुरुषों की भांति तपस्या करने की अधिकारिणी थी।

इस काल में नारी को कन्या के रूप में संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। पत्नी को संपत्ति की देवी कहा जाता था ।विधवा का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था । पत्नी का अपने परिवार में सम्मान था।

उपर्युक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान ही अच्छी थी ।उसे सभी क्षेत्रों– सामाजिक ,धार्मिक ,आर्थिक, राजनीतिक आदि में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है।

उत्तर वैदिक कालरू–

उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक वर्षों अर्थात ईसा के करीब 300 वर्षों तक स्त्रियों की स्थिति ठीक थी। संपन्न परिवार की लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। वह वेदों का अध्ययन कर सकती थी। अपने पसंद का वर चुन सकती थी। उसके धार्मिक व सामाजिक अधिकार यथावत् थे। जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभाव से यह स्थिति चलती रही, लेकिन इन धर्मों के पतन के साथ–साथ स्त्रियों की स्थिति भी बिगड़ती चली गई ै.. अल्तेकर के अनुसार –आर्य गृह में अनार्य नारी का प्रवेश नारियों की सामान्य स्थिति की अवनति का मुख्य कारण है ।यह अवनति ईशा के करीब 1000 वर्ष पूर्व से धीरे–धीरे अति सूक्ष्म रूप में प्रारंभ हुई और करीब 500 वर्ष पश्चात काफी स्पष्ट मालूम पड़ने लगी।

बाद में मनु –परंपरा आ गई ।इस काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। यज्ञ करना तथा वेदों का अध्ययन प्रतिबंधित हो गए ।विधवा विवाह एवं नियोग जैसी स्वस्थ परंपराओं पर रोक लगा दी गई ।शिक्षा पाना कठिन हो गया ।धीरे–धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई।

स्मृति– काल में स्त्रियों के समस्त अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। स्मृतिकारों ने स्त्री को प्रत्येक अवस्था में परतंत्र बना दिया। उसे बचपन में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने के आदेश दिए गए ।स्त्री का एकमात्र कर्तव्य पति की सेवा करना था ।विधवा– पुनर्विवाह बंद कर दिए गए तथा सती– प्रथा का प्रचलन हो गया ।इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति सैद्धांतिक रूप से खराब कर दी गई ,जो आगे चलकर व्यावहारिक रूप में विकसित हो गई।

धर्मशास्त्र काल

तीसरी शताब्दी से 11 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक के काल को धर्मशास्त्र– काल कहा गया है। इस काल में समाज एवं स्त्री पर इतने अधिक प्रतिबंध लगाए गए कि इसे सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता का काल कहा गया ।इस काल में बाल– विवाह ,बहुविवाह, सती प्रथा जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला बढ़

गया। स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिए गए। विवाह की आयु 10 से 12 वर्ष की हो गई। स्वयंवर प्रथा समाप्त हो गई । विदुर 8 या 10 वर्ष की कन्याओं से विवाह करने लगा। परिणामस्वरूप विधवाओं की संख्या में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार धर्म शास्त्र– काल में स्त्रियाँ माता से सेविका तथा गृह लक्ष्मी से याचिका बन गई। स्त्री के लिए पति ही देवता एवं विवाह ही एकमात्र धार्मिक संस्कार रह गया था। इस काल में स्त्रियों को परतंत्र ,पराधीन, निस्सहाय और निर्बल बना दिया ।स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझा जाने लगा।

अध्ययन का उद्देश्य

प्राचीन भारत में नारियों की सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक स्थिति को अधिक प्रभावी स्व ऐतिहासिक रूप से प्रस्तुत करना, जो आधुनिक विश्व के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन सके।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं, कि वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था ।उसे देवी, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, सहचरी माना जाता था। स्मृति काल में भी ष्यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताष कह कर उसे सम्मानित स्थान प्रदान किया गया था। पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती रही है । हालांकि पौराणिक युग में नारी ,वैदिक युग के देवीपद से उतर कर सहधर्मिणी के स्थान पर आ गई थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ उर्मिला प्रकाश मिश्र–ष्प्राचीन भारत में नारीष*
2. *डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकर –ष्प्राचीन भारत का धार्मिक सामाजिक और आर्थिक जीवनष*
3. *डॉ पी वी काणे– ष्धर्म शास्त्र का इतिहासष भाग –1 हिंदी अनुवाद*
4. *डॉ राजबली पांडे–ष्अशोक के अभिलेखष*
5. *डॉ पी वी काणे द्वारा प्रकाशित ष्कात्यायन स्मृति सारोद्धारष*
6. *रोमिला थापर–ष्प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहासष*
7. *राजबली पांडे–ष्प्राचीन भारतष*